संख्या:-125/2026/आई-1437793/001-251आ0/23-5002(002)-29-2026
(कम्प्यूटर सं0-2039813)

प्रेषक,

सुबास राम,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2026**

विषय: 'राजभवन स्थित के-2 आवास के स्थान पर चार टाइप-5 अधिकारी आवासों का निर्माण कार्य' हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत की जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट ख वर्ग), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-944बी0जी0बी0/112बी0जी0बी0/राजभवन/जी0एस0टी0मांग/2024-25, दिनांक-25.03.2026 एवं सं0-122बी0जी0बी0/112बी0जी0बी0/राजभवन/जी0एस0टी0/मांग/2024-25, दिनांक-12.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-134/2021/ आई/119758/2021/314आ0/23-5-21-23 (भवन)/2021, दिनांक 07.12.2021 द्वारा धनराशि रू0 294.28 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि रू0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु बचत की धनराशि रू0 0.97 लाख को समायोजित करते हुये विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 293.31 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवंटन किया जा चुका है। जी0एस0टी0 की दरों में हुयी वृद्धि (12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के कारण उक्त कार्य पर जी0एस0टी0 की बढ़ी हुयी धनराशि रू0 12.80 लाख की देयता उत्पन्न हुई है।

3- अतएव कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (बजट ख वर्ग), लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत मूल लागत रु0 294.28 लाख में से रू0 0.97 लाख की बचत को घटाने के उपरांत लागत रु0 293.31 लाख में बढ़ी हुई जी0एस0टी0 (12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) की धनराशि रू0 12.80 लाख को जोड़ते हुए कार्य की कुल लागत **रू0 306.11 लाख** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी अवशेष धनराशि का भुगतान कदापि नही किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि के संपरीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किये जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- किसी भी स्थिति में कार्य एवं फंडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय। यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग का होगा।

4- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय कदापि नही किया जायेगा।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6- लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

7- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगा। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0- ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75/2011, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

8- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

9- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

10- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

12- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर यथा संशोधित सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- उक्त व्यय का वहन आय-व्ययक के सुसंगत मद के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- प्रश्नगत परियोजना पर होने वाला व्यय आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 के लेखाशीर्षक 4059800512000 "राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-E-8-251-X-2026-27 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

सुबास राम
संयुक्त सचिव।

संख्या:-125/2026/आई-1437793/001-251आ0(1)/23-5-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, भवन, लो0नि0वि0।
10- सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0।
11- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0 ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुबास राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।